

डिक्री मुकदमा इब्लदाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाक्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारी:- सुनीता मीना आर.ए.एस  
उनवान

अश्वनी कुमार पुत्र रामसिंह जाति मीना निवासी आखावाडा तहसील टोडाभीम।  
(वादी)

बनाम

1. नन्दराम पुत्र फतोली मीना
2. भरतलाल पुत्र फतोली मीना
3. बबलू पुत्र गुटेरी मीना
4. खेमसिंह पुत्र गुटेरी मीना
5. गोपाली पत्नि गुटेरी मीना
6. अवधेश कुमार पुत्र रजन मीना
7. नमोनारायण पुत्र रजन मीना
8. प्रेमदेवी पत्नि रजन मीना
9. कपूर पुत्र काडू मीना
10. रामराज पुत्र काडू मीना
11. छोटी बेवा रूपसिंह मीना
12. विशाल पुत्र रूपसिंह मीना जरिये संरक्षक माता छोटी देवी जाति मीना
13. भगवती पुत्र रूपसिंह मीना जरिये संरक्षक माता छोटी देवी जाति मीना
14. जमनालाल पुत्र गोरया मीना
15. धर्मसिंह पुत्र गोरया मीना
16. नरेश पुत्र टीकाराम मीना
17. मनोज पुत्र टीकाराम मीना
18. बलराम पुत्र रमन मीना
19. रामकरण पुत्र रमन मीना
20. सन्तरा पत्नि रमन मीना

समस्त जातियान मीना निवासीयान आखावाडा तहसील टोडाभीम।

21. प्रबन्धक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा महस्वा तहसील टोडाभीम।
22. प्रबन्धक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा श्रीमहावीरजी तहसील टोडाभीम।
23. भारतीय स्टेट बैंक शाखा हिण्डौन सिटी
24. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत तकास्मा, स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0:- 73/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबई श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट हमारे मिनजानिब श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है, व ग्राम आखावाडा की आराजीयात मे निम्नानुसार डिक्री दी जाती है कि:-

ब्र0स0	नाम खातेदार काश्तकार	ख0न0	रकवा
1	अश्वनी कुमार पुत्र रामसिंह जाति मीना सा.देह. खातेदार हिस्सा पूर्ण	413	0.13 है0
		415	0.07 है0
	कुल किता 2		0.20 है0

(सुनीता मीना)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
टोडाभीम, जिला-गंगापूर सिटी

2	अवधेश कुमार पुत्र रजन हिस्सा 73/2000	1353	0.30 है०
	नमोनारायण पुत्र रजन हिस्सा 73/2000	1355	0.25 है०
	प्रेमदेवी पत्नि स्व० रजन हिस्सा 549/2500	1358	0.21 है०
	कपूर पुत्र काडू हिस्सा 2439/5000	1359	0.18 है०
	रामराज पुत्र काडू हिस्सा 2439/5000	1359/1744	0.04 है०
	रूपसिंह पुत्र काडू हिस्सा 4879/10000	1526	0.10 है०
	कैलाशी पत्नि टीकाराम हिस्सा 1219/10000	1527	0.06 है०
	नरेश पुत्र टीकाराम हिस्सा 1219/10000	1528	0.06 है०
	मनोज पुत्र टीकाराम हिस्सा 1219/10000	387	0.19 है०
	खेमसिंह पुत्र गुटेरी हिस्सा 39/400	388	0.13 है०
	बबलू पुत्र गुटेरी हिस्सा 39/400	389	0.05 है०
	गोपाली पत्नि गुटेरी हिस्सा 61/625	390	0.15 है०
	गोरधनी पत्नि गौरया हिस्सा 183/500	392	0.15 है०
	जमना लाल पुत्र गौरया हिस्सा 829/5000	393	0.15 है०
	धर्मसिंह पुत्र गौरया हिस्सा 1829/5000	414	0.13 है०
	नन्दराम पुत्र फतोली हिस्सा 2927/10000	416	0.05 है०
	भरतलाल पुत्र फतोली हिस्सा 2927/10000	417	0.11 है०
	सन्तरा पत्नि रमन हिस्सा 61/625	442	0.10 है०
	नाबा. रामकरण पुत्र रमन हिस्सा 39/400	443	0.13 है०
	नाबा. बलराम पुत्र रमन हिस्सा 39/400	453	0.12 है०
	जाति मीना सा.देह खातेदार मुताबिक जमाबन्दी रहन बदस्तूर	497	0.21 है०
		521	0.25 है०
		614	0.21 है०
		657	0.19 है०
		671	0.08 है०
		672	0.04 है०
		800	0.05 है०
		811	0.10 है०
	989	0.25 है०	
	990	0.15 है०	
	कुल कित्ता 30	4.19 है०	

उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक-दूसरे के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करे।

निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 28.06.2024 को जारी की गई।

(मुबलिंग की सेवा)  
न्यायालय उप-खाफे अधीकारी एवं प्रदेश सहायक कलक्टर  
टोडाभूमि, जिला-गंगानगर सिटी

मुदई	रूपया	पसे	मुदायला	रूपया	पसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			वावत इजराय हुवमनामा		
वावत इजराय हुवमनामा			मुताबिक		